सिविल विविध

-{

समक्ष बाल राज तुली और भोपिंडर सिंह ढिल्लों, न्यायमूर्ति

सरोज कुमारी, आदि- *याचिकाकर्ता।*

बनाम

हरियाणा राज्य आदि - *उत्तरदाता।*

1973 की सिविल रिट संख्या 4187

9 सितंबर, 1974।

हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स अधिनियम (1972 का XXVI)-धारा 3,4,7 और 9-हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स नियम(1973)- नियम 5 (2) (ए) 5 (2) (बी) और 5 (2) (सी)-भारत का संविधान (1950)-अनुच्छेद 31 ए और 31 सी-धारा 4 का हिस्सा और अन्य संबद्ध प्रावधान जो एक 'परिवार' के लिए अनुमेय क्षेत्र निर्धारित करते हैं-क्या अस्पष्टता और अनिश्चितता के कारण निरस्त होने के लिए उत्तरदायी हैं-ऐसे प्रावधान-क्या कृषि सुधारों को बढ़ावा देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 ए और 31 सी के तहत संरक्षित हैं- धारा 9 का स्पष्टीकरण-क्या कार्य करने योग्य नहीं है-शब्द 'कंपनी' और 'सहकारी समिति'-क्या उनसे हटाया जाना है-नियम 5 (2) (ए) 5 (2) (बी) और 5 (2) (सी)-क्या अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) और (बी) अति अधिकारित हैं-ऐसे नियम-क्या उसमें उल्लिखित अभिलेखों के नहर विभाग द्वारा रखरखाव न करने के लिए निरस्त किए जाने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स अधिनियम, 1972 की धारा 3,4,7 और 9 के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि अधिनियम के तहत 'परिवार' एक कृत्रिम इकाई है जो किसी अन्य कानून के लिए अज्ञात है जो संपत्ति के उपभोग या उत्तराधिकार के लिए या पक्षकारों को नियंत्रित करने वाले किसी व्यक्तिगत कानून के लिए प्रावधान करता है। स्पष्टीकरण के अनुसार। अधिनियम की धारा 7 और स्पष्टीकरण 1 से धारा 9 (1) तक, 'परिवार' के सभी सदस्यों द्वारा धारित भूमि, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है, को एक साथ इकट्ठा किया जाना है और उस भूमि से परिवार के अनुमेय क्षेत्र का चयन किया जाना है। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि परिवार के अनुमेय क्षेत्र के रूप में चुनी गई भूमि उस व्यक्ति की भूमि नहीं होगी जिसके पास इसका स्वामित्व था और जिसके नाम पर इसे नियत दिन पर दर्ज किया गया था। यह भी प्रावधान नहीं है कि ऐसी भूमि उसके बाद परिवार की संपत्ति बन जाएगी। यदि किसी परिवार को अनुमेय क्षेत्र रखने के लिए एक इकाई बनाना है, तो अनुमेय क्षेत्र के संबंध में परिवार के सदस्यों के अंतर अधिकारों को परिभाषित करना बिल्कुल आवश्यक है। अधिनियम में यह परिभाषित नहीं किया गया है कि परिवार के अनुमेय क्षेत्र में

परिवार के प्रत्येक सदस्य का हिस्सा क्या होगा, क्या वह अपने व्यक्तिगत हिस्से के रूप में इसके किसी भी हिस्से का दावा कर सकता है और उसमें से विभाजन की मांग कर सकता है या क्या बहुमत प्राप्त करने पर परिवार का कोई सदस्य परिवार की भूमि में अपने हिस्से को अलग भोग के लिए विभाजित करने का हकदार होगा या अविवाहित बेटी, जो नियत दिन पर परिवार की सदस्य थी, शादी के बाद पारिवारिक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं रहेगी जैसा कि संयुक्त हिंदू परिवार के मामले में है या क्या वह संपत्ति में अपने हिस्से का दावा करने और उसे विभाजित करने में सक्षम होगी। यह आगे स्पष्ट नहीं है कि नियत दिन के बाद परिवार में पैदा हुए बच्चों के क्या अधिकार होंगे, यानी क्या वे अपने जन्म से पहले आरक्षित परिवार के अनुमेय क्षेत्र में किसी भी हिस्से का दावा करने के हकदार होंगे। परिवार को किसी भी तरह से अनुमत क्षेत्र में अंतर अधिकारों या परिवार के प्रत्येक सदस्य के हिस्से को परिभाषित किए बिना अधिनियम के उद्देश्यों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया है। इसलिए, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि अधिनियम के तहत गठित परिवार परिवार के उद्देश्यों के लिए अनुमत क्षेत्र को कैसे धारण कर सकेगा और उसका आनंद ले सकेगा और उनकी मृत्यु के मामले में परिवार के विभिन्न सदस्यों के उत्तराधिकार का तरीका क्या होगा। यह भी ज्ञात नहीं है कि परिवार का मुखिया या कोई अन्य सदस्य भूमि में अपने हिस्से के संबंध में वसीयत कर सकता है या परिवार के अन्य सदस्यों की सहमति के बिना उसका कोई अंतर-विवोस अलगाव कर सकता है। अधिनियम के प्रावधान, जैसा कि वे वर्तमान में हैं, इस आधार पर निरस्त किए जाने के योग्य हैं कि कानून के एक महत्वपूर्ण विषय पर अधूरा प्रावधान किया गया है जिससे अस्पष्टता और अस्पष्टता पैदा होती है जो भूमि मालिकों के लिए अपनी भूमि और क्षेत्र को अनुमत क्षेत्र के रूप में घोषित करते समय कई कठिनाइयाँ पैदा करेगा। इस तरह का कानून व्यापक होने के साथ-साथ आसानी से समझने योग्य भी होना चाहिए। यह विधानमंडल का कर्तव्य है कि वह जनता के लिए बिना किसी कठिनाई के पालन करने के लिए स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य प्रावधान करे। इसलिए धारा 4 का वह भाग और अधिनियम के अन्य संबद्ध प्रावधान जो एक 'परिवार' के लिए अनुमेय क्षेत्र निर्धारित करते हैं, अस्पष्टता और अनिश्चितता के दुष्प्रभाव से ग्रस्त हैं और अपूर्ण और अव्यवहार्य होने के कारण निरस्त कर दिए जाते हैं। इन प्रावधानों को निरस्त करने के परिणामस्वरूप, अधिनियम के प्रावधानों में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगेः– (1) 'परिवार' शब्द को धारा 3 में 'व्यक्ति' की परिभाषा से हटा दिया जाएगा।(m) "(ii)" "व्यक्ति" "शब्द के पश्चात्" "पति, पत्नी और तीन नाबालिग बच्चों (जिसे इसमें" "परिवार की प्राथमिक इकाई" "कहा गया है) से मिलकर बना शब्द या परिवार धारा 4 की धारा 4 (1) (iii) की उपधारा (2) से हटा दिया जाएगा;" (iv). 'परिवार की प्राथमिक इकाई' शब्दों के स्थान पर 'व्यक्ति' शब्द को धारा 4 की उपधारा (3) में प्रतिस्थापित किया जाएगा; (v) धारा 7 का स्पष्टीकरण हटा दिया जाएगा; (vi) धारा 9 (1) का स्पष्टीकरण I हटा दिया जाएगा। (पैरा 4,5,6,7 और 19)

अभिनिर्धारित किया गया कि यदि अधिनियम का कोई उपबंध संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को सुरक्षित करने की दिशा में कृषि सुधार या राज्य की नीति को बढ़ावा नहीं देता है, तो इसे संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 31 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन सहित किसी भी आधार पर निरस्त किया जा सकता है। कृषि सुधार का अर्थ यह नहीं है कि एक भूस्वामी को अपनी भूमि का कोई भी हिस्सा छोड़े बिना पूरी तरह से वंचित कर दिया जाना चाहिए

*ताकि उसे अन्य भूमिहीन व्यक्तियों या कृषि मजदूरों या किरायेदारों आदि के बीच वितरित किया जा सके। अधिकांश भू-स्वामी अपनी आजीविका के लिए अपने स्वामित्व वाली भूमि पर निर्भर हैं। यदि अधिनियम के तहत गठित परिवार के एक से अधिक सदस्य के पास नियत दिन पर अपने स्वयं के अधिकार में भूमि है, तो परिवार के मुखिया की इच्छा और विकल्प पर उसे उस भूमि से पूरी तरह से वंचित करना कृषि सुधार का निषेध होगा, चाहे वह पति, पत्नी या नाबालिग बच्चों का अभिभावक हो, विशेष रूप से जब परिवार की भूमि में उनके अधिकार अधिनियम में निर्धारित या परिभाषित नहीं किए गए हैं। अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों का परिणाम यह है कि काफी संख्या में भूमि मालिक भूमिहीन हो जाते हैं और उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए मजदूर या कृषि श्रमिक बनने या कहीं और रोजगार पाने के लिए मजबूर किया जाता है। इस तरह का विधान कृषि सुधार का निषेध है और संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (बी) और (सी) के तहत राज्य सरकार की नीति का पालन नहीं करता है। इसलिए 'परिवार' के संबंध में अधिनियम के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 31ए और 31सी के तहत सुरक्षित नहीं हैं। (*पैरा *8).*

*अभिनिर्धारित है कि अधिनियम की धारा 9 (1) का स्पष्टीकरण-2 भी सुखपूर्वक नहीं लिखा गया है। इसके अनुसार, किसी व्यक्ति के स्वामित्व या स्वामित्व वाली भूमि की सीमा की गणना करते समय, सहकारी समिति या सहयोगी में ऐसे व्यक्ति के हिस्से को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कंपनी को अधिनियम या सामान्य खंड अधिनियम, 1897 में परिभाषित नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम, 1956 में इसका अर्थ उस अधिनियम के तहत गठित और पंजीकृत कंपनी या उस अधिनियम की धारा 3 के खंड (ii) में परिभाषित मौजूदा कंपनी से है। इसके निगमन पर कोई भी कंपनी एक अलग कानूनी इकाई बन जाती है जो संघ के ज्ञापन या उसके शेयरधारकों के ग्राहकों से पूरी तरह से अलग होती है। यह संपत्ति का स्वामित्व रख सकता है और उससे निपट सकता है। जबकि कंपनी एक चालू कंपनी है, कोई भी शेयरधारक यह दावा नहीं कर सकता है कि उसकी संपत्ति का कोई भी हिस्सा उसका है। कंपनी की संपत्ति में उसके हिस्से का निर्धारण करना किसी भी समय संभव नहीं है। इसलिए, ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व वाली या धारित भूमि की सीमा की गणना करने के प्रयोजनों के लिए, उस कंपनी के स्वामित्व वाली या धारित भूमि में किसी व्यक्ति के हिस्से का निर्धारण करना संभव नहीं है, जिसमें वह एक शेयरधारक है। सहकारी समिति अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति की स्थिति भी एक कंपनी की स्थिति के समान है और यही एक सहकारी समिति पर उत्परिवर्तन लागू होती है। अधिनियम में परिभाषित "व्यक्ति" शब्द में एक कंपनी और एक सहकारी समिति शामिल है जिसका अर्थ है कि प्रत्येक कंपनी और सहकारी समिति अधिनियम की धारा 4 में निर्धारित भूमि के बदले में एक अनुमेय क्षेत्र का हकदार होगा। उस भूमि में से कंपनी या सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य का हिस्सा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अतः 'कंपनी' और 'सहकारी समिति' शब्दों को अधिनियम की धारा 9 (1) के स्पष्टीकरण 2 से हटाना होगा। (*पैरा *12 and 13)*

यह अभिनिर्धारित किया गया कि हरियाणा भू-धारक सीमा नियम, 1973 के नियम 2 के खंड (ii) (iii) (iv) और (v) में भूमि की विभिन्न श्रेणियों को परिभाषित करते समय भूमि के प्रकार पर कोई विचार

नहीं किया गया है। ये श्रेणियां विभिन्न स्रोतों से सुनिश्चित सिंचाई और फसलों की संख्या पर निर्भर करती हैं जो भूमि उगाने में सक्षम है, लेकिन उस प्रकार की मिट्टी पर नहीं जिसे अधिनियम की धारा 4 (4) में दिए गए विधायिका के अधिदेश के अनुसार विचार करना आवश्यक था। ऐसा हो सकता है कि एक वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने में सक्षम और कम से कम दो फसलें उगाने में सक्षम निम्न स्तर की भूमि की तुलना में एक वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने में सक्षम निम्न स्तर की भूमि से उपज बहुत कम हो। सुनिश्चित सिंचाई के तहत सभी प्रकार की भूमि की बराबरी करना और एक वर्ष में कम से कम दो फसलें या एक फसल उगाने में सक्षम होना, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 4 (4) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अधिनियम की धारा 16 (1) के उपबंधों से यह स्पष्ट है कि अधिशेष क्षेत्र के बदले राशि का भुगतान करने के लिए भूमि को सोलह श्रेणियों में विभाजित किया गया है और ऐसी प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है। इसलिए यह उस नियम 5 का अनुसरण करता है जो भूमि की विभिन्न श्रेणियों के मूल्यांकन का तरीका निर्धारित करता है, जिन्हें नियम 2 के तहत वर्गीकृत किया गया है, अधिनियम की धारा 4 (4) के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) एक वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने में सक्षम सुनिश्चित सिंचाई के तहत भूमि के संदर्भ में अनुमेय क्षेत्र निर्धारित करती है और इस श्रेणी की भूमि को नियमों में 'ए श्रेणी की भूमि' के रूप में परिभाषित किया गया है यदि सिंचाई का स्रोत एक नहर या राज्य ट्यूबवेल है और 'एए श्रेणी की भूमि' यदि सिंचाई का स्रोत एक निजी ट्यूबवेल या पंपिंग सेट है। धारा 4 (5) के प्रावधानों के अनुसार 'ए श्रेणी की भूमि' की एक इकाई को 'एए श्रेणी की भूमि' की 1.25 इकाइयों के बराबर बनाया गया है। हालांकि नियम 5 (2) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि भूमि को नहर या सरकारी ट्यूबवेल या नहर और निजी ट्यूबवेल दोनों द्वारा सिंचित किया जाता है, तो निर्धारित दिन से तुरंत पहले 3 साल की अवधि के दौरान अबियाना चार्ज करने के लिए नहर विभाग द्वारा आयोजित गिरदावरी के रिकॉर्ड के अनुसार 5 या 6 फसलों के दौरान सिंचाई प्राप्त करने वाले क्षेत्र की सीमा को 'ए श्रेणी की भूमि' माना जाएगा। अधिनियम की धारा 4 (4) में प्रावधान है कि सिंचाई की तीव्रता को ध्यान में रखा जाएगा। 'सिंचाई की तीव्रता' की परिभाषा के अनुसार, जैसा कि सिंचाई प्रक्रिया नियमावली के खंड 2 में समझाया गया है, उस भूमि को 'ए श्रेणी की भूमि' या 'एए श्रेणी की भूमि' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसने अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) के अनुसार नियत दिन से तुरंत पहले 3 वर्षों की अवधि के दौरान सभी छह फसलों के लिए सिंचाई प्राप्त की है। नियम 5 (2) (ए) में पाँच फसलों को शामिल करना, इसलिए, अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) और (4) के अनुसार नहीं है। इसी प्रकार, नियम 5 (2) (ख) जो यह उपबंध करता है कि यदि भूमि सरकारी नलकूपों की नहर द्वारा या नलकूपों और निजी नलकूपों दोनों द्वारा सिंचित की जाती है, तो नियत दिन से ठीक पहले के 3 वर्षों की अवधि के दौरान 2,3 या 4 फसलों के लिए सिंचाई प्राप्त करने वाले क्षेत्र की सीमा को 'बी श्रेणी की भूमि' माना जाएगा, अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अनुरूप नहीं है जिसके अनुसार वर्ष में कम से कम एक फसल के लिए सुनिश्चित सिंचाई होनी चाहिए। यदि तीन वर्षों में दो फसलों के लिए सिंचाई का आश्वासन दिया गया है, तो यह उस श्रेणी में नहीं आएगा जिसके लिए अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) में प्रावधान किया गया है। इसलिए नियम 5 (2) के खंड (ए) और (बी) अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) और (बी) के प्रावधानों से परे हैं।

*(*पैरा *15, 16 and 17)*

माना जाता है कि नियम 5 (2) (ए) में "अबियाना चार्ज करने के लिए नहर विभाग द्वारा संचालित गिरदावरी के रिकॉर्ड" का उल्लेख किया गया है। नहर विभाग द्वारा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। जो अभिलेख रखा गया है वह हरियाणा और पंजाब के वित्तीय आयुक्तों के स्थायी आदेश संख्या 61 में दिया गया है, जिसमें गिरदावरी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिये यह है। भूमि मालिकों के लिए यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उनकी भूमि को अधिनियम की धारा 4 (1) में उपबंधित फसलों की संख्या के अनुसार सिंचाई प्राप्त हुई है, नहर विभाग द्वारा बनाए गए गिरदावरी अभिलेख की प्रतियां प्राप्त करना संभव नहीं है। नियम बनाने वाले प्राधिकारी को वह अभिलेख निर्धारित करना चाहिए जो वर्तमान है और जो विभाग के साथ-साथ भूमि मालिकों को भी ज्ञात है और जिसकी प्रमाणित प्रतियां आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। इसलिए यह नियम इस आधार पर भी निरस्त किया जा सकता है कि नियम 5 (2) (ए) (बी) और (सी) में उल्लिखित फसलों के दौरान सिंचाई प्राप्त करने वाले भूमि मालिक के क्षेत्र का निर्धारण करने का रिकॉर्ड नहर विभाग द्वारा उस रूप में नहीं रखा जाता है और इस नियम में उस रिकॉर्ड का विवरण सही नहीं है। (Para 18)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि हरियाणा भू-धारक अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1972 का हरियाणा अधिनियम संख्या 26) को भारत के संविधान के उपबंधों से परे घोषित किया जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील एस. गुप्ता और ए. एस. नेहरा *ने पैरवी की।*

जे. एन. कौशल, एडवोकेट-जनरल, हरियाणा। उत्तरदाताओं की ओर से हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता सीडी दीवान और हरियाणा के उप महाधिवक्ता एचएन मेहतानी *उपस्थित*

निर्णय

तुली, जे -हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) को 22 दिसंबर, 1972 को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और इसे 23 दिसंबर, 1972 को हरियाणा सरकार के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया, जिस तारीख को यह लागू हुआ था। अधिनियम की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल ने अधिसूचना संख्या जी एस आर 99/एच ए 26/72/एस 31/73, दिनांक 28 अगस्त, 1973 द्वारा अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स रूल्स, 1973 (जिसे इसके बाद नियम कहा जाता है) को प्रख्यापित किया। कई भूमि मालिकों ने अधिनियम और नियमों के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें से 172 याचिकाएं निर्णय के लिए हमारे सामने रखी गई हैं। यह आदेश उन सभी रिट याचिकाओं का निपटारा करेगा (Numbers 4187, 4192, 4224, 4326, 4342 to 4346, 4433 to 4435, 4442 to 4445, 4455 to 4457, 4463, 4468, 4474, 4484, 4490, 4491, 4496, 4501 to 4505, 4507 to 4511, 4518, 4520, 4521, 4540 to 4543, 4551, 4565, 4578 to 4581, 4583, 4594, 4603, 4609, 4614 to 4620, 4624 to 4629 and 4635 of 1973, 92, 140, 166 to 169, 183, 198, 200 to 203, 216, 217, 219 to 228, 230, to 233, 254, 256, 271, 272, 301, 303, 304, 319 to 321, 323, 325 , 326, 341, 342, 363, 364, 366 to 370, 381, 387 to 389, 396, 399-A, 400, 412 to 415, 417 to 433, 436 to 440, 471 to 479, 518, 519, 535,

536, 597, 646 to 649, 1008, 1132 and 1134 , 1974 का).

(2) अधिनियम की प्रस्तावना से पता चलता है कि इसे हरियाणा राज्य में भूमि जोत की अधिकतम सीमा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था और उद्देश्यों और कारणों का विवरण निम्नानुसार हैः -

उन्होंने कहा, "अब हरियाणा राज्य में दो अधिनियम लागू हैं, पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट, 1953 और पेप्सू टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट, 1955। पंजाब प्रतिभूति भूमि कार्यकाल अधिनियम केवल राज्य के उन हिस्सों पर लागू होता है, जो 1 नवंबर, 1956 से पहले पंजाब राज्य में शामिल थे। पेप्सू किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1955, पूर्ववर्ती पेप्सू राज्य के उन क्षेत्रों पर लागू होता है, जो अब हरियाणा राज्य का हिस्सा हैं। यह आवश्यक हो गया है कि उपर्युक्त दो अधिनियमों में निहित कृषि भूमि की अधिकतम सीमा से संबंधित विधि जो हरियाणा राज्य के कुछ भागों पर लागू होती है, एकीकृत की जाए और संपूर्ण हरियाणा राज्य के लिए कृषि भूमि की अधिकतम सीमा पर केवल एक ही अधिनियम होना चाहिए।

दूसरा, भारत सरकार द्वारा नियुक्त भूमि सुधारों पर केंद्रीय समिति ने एक नीति विकसित की, जिसमें भूमि के समान वितरण की गारंटी के लिए भूमिहीन व्यक्तियों के बीच वितरित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अनुमेय क्षेत्र को कम किया जाए, अधिशेष क्षेत्र राज्य सरकार में निहित होना चाहिए और एक परिवार को अनुमेय क्षेत्र निर्धारित करने के लिए एक इकाई माना जाना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया है कि दो मौजूदा अधिनियमों के तहत दी गई कुछ छूटों को वापस लिया जाना चाहिए।

तीसरा, भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिशेष भूमि का अधिग्रहण किया जाना है और आगे के स्वामित्व अधिकार उन्हें प्रदान किए जाने हैं।

अधिनियम की धारा 2 घोषित करती है कि यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (बी) और (सी) में निर्दिष्ट सिद्धांतों को सुरक्षित करने की दिशा में राज्य की नीति को प्रभावी बनाने के लिए पारित किया गया है। इस घोषणा का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 31 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के

उल्लंघन के आधार पर अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती से मुक्त करना था, जैसा कि अनुच्छेद 31-सी में प्रदान किया गया है।

(3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने इस बात को चुनौती नहीं दी है कि अधिनियम के प्रावधान, उन प्रावधानों को छोड़कर जिन्हें इस निर्णय के बाद के भाग में अधिकार से बाहर घोषित किया जा रहा है, कृषि सुधारों से संबंधित हैं और संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (बी) और (सी) में निर्दिष्ट सिद्धांतों को सुरक्षित करने की दिशा में राज्य की नीति को प्रभावी बनाते हैं। इस मामले पर सुच्चा सिंह बाजवा बनाम पंजाब राज्य (1) वाले मामले में इस अदालत की पूर्ण पीठ ने विस्तार से विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि पंजाब भूमि सुधार अधिनियम के उपबंध, जो कृषि पुनर्निर्धारण से संबंधित थे और भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को सुरक्षित करने की दिशा में राज्य की नीति को प्रभावी बनाते थे, इस आधार पर आक्रमण से मुक्त थे कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 31 के अधीन गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार को छीन लिया या संक्षिप्त कर दिया। उद्देश्यों और कारणों का बयान और अधिनियम के अधिकांश प्रावधान, पंजाब भूमि सुधार अधिनियम के समान होने के कारण, वह निर्णय अधिनियम पर पूरी ताकत से लागू होता है और याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने इसके विपरीत कुछ भी आग्रह नहीं किया है। इसलिए हम इन याचिकाओं में चुनौती के तहत अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते हुए उसी आधार पर आगे बढ़ेंगे।

(4) याचिकाकर्ताओं का मुख्य हमला अधिनियम की धारा 4 के उस भाग की संवैधानिकता और अन्य संबद्ध प्रावधानों पर है जो एक परिवार के लिए अनुमेय क्षेत्र निर्धारित करते हैं और निर्भरता सुच्चा सिंह के मामले (ऊपर) में पूर्ण पीठ के फैसले पर रखी गई है, जिसमें यह पंजाब भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में अभिनिर्धारित किया गया था, कि -

'परिवार' को अधिनियम की धारा 3 (4) द्वारा एक कृत्रिम अर्थ दिया गया है और इस तरह के परिवार को अधिनियम की धारा 3 (10) में 'व्यक्ति' की परिभाषा में शामिल किया गया है। इन परिभाषाओं के अनुसार, कोई भी परिवार अधिनियम की धारा 4 (2) के खंड (ए)

(बी) (सी) और (डी) में उल्लिखित 7 हेक्टेयर, 11 हेक्टेयर, 20.5 हेक्टेयर या 21.8 हेक्टेयर अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि का स्वामी या गिरवी रख सकता है। यदि ऐसे परिवार के सदस्य पाँच से अधिक हैं, तो अनुमेय क्षेत्र को प्रत्येक सदस्य के लिए अनुमेय क्षेत्र के पांचवें हिस्से से इस शर्त के साथ बढ़ाया जाता है कि ऐसे तीन से अधिक सदस्यों के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित नहीं की जाएगी। परिवार के लिए अनुमेय क्षेत्र के चयन का तरीका धारा 4 की उप-धारा (4) में प्रदान किया गया है, अर्थात नियत दिन पर परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित भूमि को एकत्रित किया जाना है और उस भूमि से पति, और जहां पति मर चुका है या उसके पास कोई भूमि नहीं है या उसके पास कोई भूमि नहीं है, पत्नी और किसी अन्य मामले में सबसे बड़े जीवित बच्चे, जो परिवार का सदस्य है, को अनुमेय क्षेत्र का चयन करना है और आवश्यक घोषणा प्रस्तुत करनी है जैसा कि पंजाब भूमि सुधार नियम, 1973 के नियम 5 (4) में प्रावधान किया गया है। (hereinafter called the Rules). इस नियम में यह प्रावधान नहीं है कि यदि पति के पास अपने नाम पर कोई क्षेत्र है, तो उसे अनिवार्य रूप से परिवार के लिए उस क्षेत्र का चयन करना होगा और वह अन्य सदस्यों की भूमि का चयन केवल उस सीमा तक कर सकता है जब तक कि उसका अपना क्षेत्र अनुमेय क्षेत्र से कम हो।

इसी प्रकार, यदि पति के पास कोई भूमि नहीं है और पत्नी के पास है, तो उसके लिए यह अनिवार्य नहीं किया गया है कि वह अनुमत क्षेत्र के रूप में अपने स्वामित्व वाले क्षेत्र का चयन करे और बच्चों द्वारा धारित भूमि में से केवल ऐसे क्षेत्र का चयन करे जो परिवार के लिए अनुमेय क्षेत्र से कम हो।

अपने अनुज्ञेय क्षेत्र का चयन करने के हकदार व्यक्ति की स्वतंत्र पसंद पर एकमात्र प्रतिबंध धारा 5 की उपधारा (2) में उस आदेश के बारे में निहित है जिसमें उसके द्वारा धारित भूमि की विभिन्न श्रेणियों का चयन किया जाना है। तथापि, इसमें उस क्रम का उल्लेख नहीं किया गया है जिसमें किसी परिवार के सदस्यों द्वारा अलग से धारित भूमि का चयन पति, पत्नी या सबसे बड़े जीवित बच्चे द्वारा किया जाना है, जो परिवार का सदस्य है, जैसा कि नियम 5 (4) में उपबंध किया गया है। यह सर्वविदित है कि पंजाब राज्य में भूमि राजस्व अभिलेखों में व्यक्तियों के नाम पर दर्ज की जाती है न कि परिवारों के नाम पर। 'परिवार' की परिभाषा एक कृत्रिम है क्योंकि इसमें वयस्क बच्चे और विवाहित नाबालिग बेटियां शामिल नहीं हैं। ऐसे परिवार के अनुमेय क्षेत्र का निर्धारण करने के उद्देश्य से, छह से अधिक के नाबालिग बच्चों को नजरअंदाज करना पड़ता है। यह एक सामान्य घटना है कि वयस्क बेटे भी कई बार अपने रखरखाव के लिए अपने पिता या माँ पर निर्भर रहते हैं जब तक कि वे अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं हो जाते।

हालाँकि, अधिनियम द्वारा यह प्रावधान नहीं किया गया है कि पति या पत्नी या परिवार के सबसे बड़े जीवित बच्चे द्वारा इस प्रकार चुना गया अनुमेय क्षेत्र उस परिवार का अनुमेय क्षेत्र बन जाएगा। इस तरह के प्रावधान के अभाव में, यह निष्कर्ष निकालना वैध है कि अनुमेय क्षेत्र के चयन और आवश्यक घोषणा दाखिल करने के बाद भी भूमि उस परिवार के सदस्य के व्यक्तिगत नाम पर बनी रहेगी, जिसके नाम पर यह पहले थी ताकि वह परिवार के अन्य सदस्यों के नुकसान के लिए भी इससे निपटने के लिए स्वतंत्र हो। परिवार अपने अनुमेय क्षेत्र में शामिल भूमि का अधिग्रहण या मालिक नहीं बनेगा। अनुमेय क्षेत्र के रूप में चयनित भूमि का वह हिस्सा जो एक नाबालिग बेटे का है, परिवार के लिए खो जाएगा जब नाबालिग बेटा वयस्क हो जाता है और परिवार का सदस्य नहीं रह जाता है। तब वह अपने अनुमेय क्षेत्र के हिस्से के रूप में उस भूमि का मालिक होगा। इसी तरह, एक नाबालिग बेटी शादी पर अपने साथ जमीन ले लेगी जब वह परिवार का सदस्य नहीं रहेगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पति या पत्नी या परिवार का सबसे बड़ा जीवित सदस्य, चयन करते समय, और अन्य कनिष्ठ सदस्य, जैसा भी मामला हो, वयस्कता प्राप्त करके या शादी करके, परिवार के अन्य सदस्यों को अपनी मर्जी से उनके द्वारा रखे गए क्षेत्र से वंचित कर सकते हैं। परिवार के अनुमेय क्षेत्र में परिवार के प्रत्येक सदस्य के हिस्से को परिभाषित नहीं किया गया है और न ही परिवार के सदस्यों द्वारा उस भूमि के अलगाव पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है ताकि परिवार में उसका प्रतिधारण सुनिश्चित किया जा सके। इस तरह के प्रावधान को कृषि सुधार के हित में या उसके माध्यम से नहीं कहा जा सकता है, नहीं, यह इसका बहुत ही खंडन है और इसे वैध या संवैधानिक के रूप में बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वत वकील ने इस ओर से कोई और तर्क नहीं दिया है, लेकिन राज्य की ओर से उपस्थित विद्वत महाधिवक्ता ने तर्क दिया है कि इस बिंदु पर पूर्ण पीठ का निर्णय निम्नलिखित कारणों से सही नहीं हैः –

(1) पूर्ण पीठ के निष्कर्ष के समर्थन में कारणों में से एक यह है कि अधिनियम और नियम यह नहीं कहते हैं कि परिवार के लिए चुना गया अनुमेय क्षेत्र परिवार का अनुमेय क्षेत्र बन जाता है। वे टिप्पणियां पंजाब अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के संबंध में की गई थीं। हरियाणा अधिनियम और नियमों की योजना, जो अब विचाराधीन हैं, और विभिन्न प्रावधानों से स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रकार चुना गया क्षेत्र परिवार का होगाः

(2) यह अभिनिर्धारित करने के पश्चात् कि अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 31-क और 31-ग के अधीन आक्रमण से मुक्त है, कृषि सुधार का उपाय होने और संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को प्राप्त करने की दिशा में राज्य की नीति को प्रभावी बनाने का उपाय होने के कारण, पूर्ण पीठ के लिए यह अभिनिर्धारित करने के लिए खुला नहीं था कि परिवार की कृत्रिम अवधारणा असंवैधानिक थी। संपूर्ण अधिनियम एक अभिन्न अंग है और कोई भी प्रावधान कृषि सुधार या संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) में निर्दिष्ट राज्य की नीति से जुड़ा नहीं है;

(3) कि अधिनियम की योजना कृषि सुधार के लिए अधिक अधिशेष क्षेत्र खोजने के लिए अधिकतम सीमा को कम करने के लिए है और विधानमंडल उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी उपकरण अपना सकता है। इस उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति की भूमि का अभिग्रहण कृषि सुधार के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 31-ए और 31-सी के तहत दिए गए संरक्षण के कारण किसी भी प्रावधान को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

(4) कि अधिनियम एक रंगीन विधान नहीं है और राज्य विधानमंडल की क्षमता के भीतर है और यदि अधिनियम के कुछ प्रावधान न्यायालयों को कठोर और असमान प्रतीत होते हैं तो इसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। अधिनियम अनुच्छेद 14 के हमले से मुक्त है;

(5) कि अधिनियम में दी गई परिभाषा केवल इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए है और अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव अन्य सभी कानूनों के विपरीत है। यह अधिनियम उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक और वार्ड अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम या किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम जैसे किसी अन्य विधान के प्रावधानों को छूने के लिए अभिप्रेत नहीं है; और

(6) कि हरियाणा अधिनियम के प्रावधानों को पंजाब अधिनियम से अधिक स्पष्ट रूप से कहा गया है और इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। अधिनियम की योजना और अधिनियम की प्रत्येक धारा कृषि सुधार से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। विद्वान महाधिवक्ता की इन दलीलों पर विचार करने से पहले, मैं इस बिंदु पर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को निर्धारित करना आवश्यक समझता हूं। ये प्रावधान हैं -

"धारा 3

(क)" "वयस्क" "से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नाबालिग नहीं है;

(च)" "परिवार" "से पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे या उनमें से कोई एक या अधिक अभिप्रेत हैं; स्पष्टीकरण-एक विवाहित नाबालिग बेटी को बच्चे के रूप में नहीं माना जाएगा;"

"(j)" "भूस्वामी" "से भूमि का स्वामी अभिप्रेत है;"

"(i)" "नाबालिग" "से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

(l)" "अनुमेय क्षेत्र" "से धारा 4 में अनुज्ञेय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट भूमि का विस्तार अभिप्रेत है;

(m)" "व्यक्ति" "से ऐसी कंपनी, परिवार, संघ या व्यक्तियों का अन्य निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, और संपत्ति धारण करने में सक्षम कोई संस्था सम्मिलित है;

(q)" "पृथक इकाई" "से वयस्क पुत्र अभिप्रेत है और उसकी मृत्यु के मामले में उसकी विधवा और बच्चे, यदि कोई हों।"

भाग 4. अनुमेय क्षेत्रः -

(1) पति, पत्नी और तीन नाबालिग बच्चों (इसके बाद 'परिवार की प्राथमिक इकाई' के रूप में संदर्भित) वाले व्यक्ति या परिवार के स्वामित्व वाले या आंशिक रूप से एक क्षमता में या आंशिक रूप से दूसरे में किसी भूमि मालिक या किरायेदार या बंधक के संबंध में अनुमेय क्षेत्र निम्नलिखित के संबंध में होगाः-(क) वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने में सक्षम सुनिश्चित सिंचाई के तहत भूमि (इसके बाद सुनिश्चित सिंचाई के तहत भूमि के रूप में संदर्भित) 7.25 हेक्टेयर; (ख) वर्ष में कम से कम एक फसल उगाने में सक्षम सिंचाई के तहत भूमि, 10.9 हेक्टेयर; (ग) बगीचे के तहत भूमि सहित अन्य सभी प्रकार की भूमि, 21.8 हेक्टेयर।

(2) अनुमेय क्षेत्र को परिवार के प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिए परिवार की प्राथमिक इकाई के अनुमेय क्षेत्र के पांचवें हिस्से से बढ़ाया जाएगा; बशर्ते कि अनुमेय क्षेत्र परिवार की प्राथमिक इकाई के अनुमेय क्षेत्र के दोगुने से अधिक न हो।

(3) भूमि स्वामी का अनुमेय क्षेत्र, जो एक अलग इकाई के लिए भूमि का चयन भी कर सकता है, प्रत्येक अलग इकाई के लिए परिवार की प्राथमिक इकाई के अनुमेय क्षेत्र तक बढ़ाया जाएगा, बशर्ते कि जहां अलग इकाई भी किसी भूमि का मालिक हो, उसे अनुमेय क्षेत्र की गणना

के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

(4) अनुज्ञेय क्षेत्र का निर्धारण निर्धारित रीति में गणना किए जाने वाले मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सिंचाई की तीव्रता, सिंचाई के साधनों के स्वामित्व और बंजर, सेम, थूर या कैलर जैसी मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखा जाएगा, बशर्ते कि कुल भौतिक जोत 21.8 हेक्टेयर से अधिक न हो।

(5) उपधारा (1) के खंड (क) के प्रयोजन के लिए अनुमेय क्षेत्र का अवधारण करने में निजी स्वामित्व वाले ट्यूबवेलों, पम्पिंग सेटों आदि से सिंचाई के अधीन पांच हेक्टेयर भूमि, उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम, 1873 (1873 का केंद्रीय अधिनियम 8) में परिभाषित नहर से सिंचाई के अधीन चार हेक्टेयर भूमि या पंजाब राज्य ट्यूबवेल अधिनियम, 1954 में परिभाषित राज्य ट्यूबवेल से चार हेक्टेयर भूमि के बराबर होगी। (1954 का पंजाब अधिनियम 21).

(6) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान सार्वजनिक प्रकृति के प्रत्येक गौशाला के संबंध में अनुज्ञेय क्षेत्र ऐसा होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट करेः

बशर्ते कि यदि किसी भी समय गौशाला की किसी भूमि का उपयोग गौशाला के धर्मार्थ और गैर-लाभकारी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है, तो कलेक्टर, आदेश द्वारा, आवश्यक जांच करने के बाद ऐसी भूमि को अधिशेष क्षेत्र घोषित कर सकता है।

धारा 1-भूमि पर अधिकतम सीमा-किसी विधि, रीति, उपयोग या करार में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति हरियाणा राज्य के भीतर नियत दिन या उसके पश्चात् अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक भूमि, चाहे वह भूमि स्वामी या किरायेदार के रूप में हो या कब्ज़े के साथ गिरवीदार के रूप में हो या आंशिक रूप से एक क्षमता में या आंशिक रूप से दूसरे में रखने का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण-जहां कोई व्यक्ति परिवार का सदस्य है, वहां अनुमेय क्षेत्र की गणना करने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्ति द्वारा धारण की गई भूमि और परिवार के सभी सदस्यों द्वारा धारण की गई भूमि को ध्यान में रखा जाएगा।

धारा 9-अनुमेय क्षेत्र और घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों का चयन -

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन या उसके बाद किसी भी समय अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक भूमि रखता है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के प्रकाशन या भूमि के बाद के अधिग्रहण के तीन महीने के भीतर, विहित प्राधिकारी को एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित एक घोषणा प्रस्तुत करेगा, जिसमें निर्धारित प्रपत्र और रीति में अपनी सभी भूमि और अलग इकाई का विवरण दिया जाएगा और उसमें भूमि के पार्सल या पार्सल का चयन, जो कुल मिलाकर अनुमेय क्षेत्र से अधिक नहीं होगा, जिसे वह बनाए रखना चाहता है; बशर्ते कि संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य के मामले में, घोषणा प्रस्तुत करने की अवधि एक वर्ष होगी।

स्पष्टीकरण 1-जहां व्यक्ति परिवार का सदस्य है, वह अपनी घोषणा में अपने द्वारा धारित भूमि और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धारित भूमि, यदि कोई हो, का विवरण भी शामिल करेगा।

स्पष्टीकरण 2-किसी व्यक्ति के स्वामित्व या धारित भूमि की सीमा की गणना करने में, अविभाजित परिवार, फर्म, सहकारी समिति या व्यक्तियों के संघ, चाहे निगमित हो या न हो, या कंपनी में ऐसे व्यक्ति के हिस्से को ध्यान में रखा जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपने अनुज्ञेय क्षेत्र का चयन करते समय भूमि स्वामी अलग इकाई के लिए भूमि का चयन भी कर सकता हैः बशर्ते कि अलग इकाई के लिए चुनी गई भूमि, ऐसी इकाई द्वारा नियत दिन या उसके बाद स्वामित्व वाली भूमि को जोड़ने के बाद, अनुमेय क्षेत्र से अधिक नहीं होगी।

(3) चयन करने में ऐसा व्यक्ति प्रथमतः वह भूमि सम्मिलित करेगा जो धारा 8 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए नियत दिन के पश्चात् उसके द्वारा अंतरित की गई थी और द्वितीयतः वह भूमि जो उसके द्वारा कब्जा किए बिना गिरवी रखी गई थी, लेकिन इसमें ऐसी कोई भूमि सम्मिलित नहीं होगी-(i) जिसे अधिशेष घोषित किया गया हैः (ii) जो पंजाब

विधि या पेप्सू विधि के अधीन किसी किरायेदार के अनुज्ञेय क्षेत्र के अधीन थी।

(4) उपधारा (1) के अधीन घोषणा निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत की जाएगी-(ख) किसी वयस्क अविवाहित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के मामले में; (ख) किसी नाबालिग, पागल, मूर्ख, या समान विकलांगता के अधीन व्यक्ति के मामले में, अभिभावक, प्रबंधक या ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की संपत्ति का प्रभारी अन्य व्यक्ति; (ग) परिवार के मामले में, पति या उसकी अनुपस्थिति में, पत्नी, या दोनों की अनुपस्थिति में, नाबालिग बच्चों का अभिभावक; (घ) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, इस संबंध में ऐसे व्यक्ति के लिए कार्य करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति।

विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर अब उस क्रम में विचार किया जा सकता है जिसमें उन्हें बिंदु 1 और 3 के ऊपर गिना गया है, हालांकि, आसानी से एक साथ निपटा जा सकता है। ऊपर निर्दिष्ट अधिनियम के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि अधिनियम के तहत परिवार एक कृत्रिम इकाई है जो किसी अन्य कानून के लिए अज्ञात है जो संपत्ति के उपभोग या उत्तराधिकार के लिए या पक्षों को नियंत्रित करने वाली किसी व्यक्तिगत कानून का प्रावधान करती है और अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि परिवार की भूमि उसके विभिन्न सदस्यों के पास कैसे होगी, उस संपत्ति का उत्तराधिकार कैसे होगा और परिवार की भूमि में प्रत्येक सदस्य के संबंधित अधिकार क्या होंगे। धारा 7 के स्पष्टीकरण और धारा 9 (1) के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, अधिनियम में परिभाषित परिवार के सभी सदस्यों द्वारा धारित भूमि को एक साथ इकट्ठा किया जाना है और उस भूमि से परिवार के अनुमेय क्षेत्र का चयन किया जाना है। तथापि, ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि परिवार के अनुज्ञेय क्षेत्र के रूप में चुनी गई भूमि उस व्यक्ति की भूमि नहीं रहेगी जिसके स्वामित्व में वह थी और जिसके नाम पर नियत दिन को यह अभिलिखित किया गया था और इसके पश्चात् उस परिवार की संपत्ति बन जाएगी जिसके परिणामस्वरूप सुच्चा सिंह बाजवा के मामले (1) (उपर्युक्त) में पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय में जो कुछ भी कहा गया है वह इस अधिनियम के उपबंधों पर भी पूर्ण बल से लागू होता है। तथापि, यदि विद्वत महाधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार किया जाता है कि चयन के पश्चात् अनुज्ञेय क्षेत्र परिवार की भूमि बन जाती है, तो विधानमंडल के लिए यह आवश्यक था कि वह उस भूमि को व्यवहार्य बनाने के लिए उस भूमि में परिवार के सदस्यों के अंतर अधिकारों का उपबंध करे। धारा 4 में उपधारा (1) के खंड (क) (ख) और (ग) के अधीन 'परिवार की प्राथमिक इकाई' का अनुज्ञेय क्षेत्र 7.25 हेक्टेयर, 10.9 हेक्टेयर या 21.8 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है और उस अनुज्ञेय क्षेत्र में परिवार के प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिए पांचवां हिस्सा बढ़ाया जाना है ताकि पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों वाले परिवार का

अनुज्ञेय क्षेत्र, चाहे जो भी संख्या हो, 'परिवार की प्राथमिक इकाई' के अनुमेय क्षेत्र के दोगुने से अधिक न हो। तथापि, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में भूस्वामी के अनुज्ञेय क्षेत्र का उपबंध है जिसका अर्थ है भूमि का स्वामी और यह नहीं कहा जा सकता कि वह किसी परिवार को संदर्भित करता है। इस उपधारा के अनुसार, कोई भूमि स्वामी अपने लिए, यथास्थिति, 7.25 हेक्टेयर, 10.9 हेक्टेयर या 21.8 हेक्टेयर के अनुज्ञेय क्षेत्र का चयन कर सकता है और यदि उस अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक कोई भूमि उसके पास रह जाती है तो वह प्रत्येक पृथक इकाई के लिए दूसरे अनुज्ञेय क्षेत्र का उस सीमा तक चयन कर सकता है जब पृथक इकाई के स्वामित्व वाला क्षेत्र धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) (ख) और (ग) में विहित अनुज्ञेय क्षेत्र से कम हो। उप-धारा (3) परिवार के विभिन्न सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि की बात नहीं करती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भूमि स्वामी की भूमि में से स्वयं भूमि स्वामी की भूमि में से एक अलग इकाई के लिए चयन किया जा सकता है, न कि भूमि स्वामी के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धारित भूमि में से, हालांकि उस भूमि को अधिनियम की धारा 7 के स्पष्टीकरण के अनुसार अनुमेय क्षेत्र की गणना के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाना है। अधिनियम की धारा 9 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को नियत दिन पर या उसके बाद किसी भी समय अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि के संबंध में घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। इस खंड में 'व्यक्ति' में परिवार और धारा 9 की उपधारा (1) के लिए स्पष्टीकरण I में यह उपबंध है कि घोषणा करने वाले व्यक्ति में परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धारित भूमि, यदि कोई हो, सम्मिलित होगी और धारा 9 की उपधारा (2) में दोहराया गया है कि भूमि स्वामी, न कि परिवार, अलग इकाई के लिए भूमि का चयन भी कर सकता है। धारा 9 की उपधारा (4) के खंड (ग) में यह स्पष्ट किया गया है कि परिवार के मामले में पति या उसकी अनुपस्थिति में पत्नी या दोनों की अनुपस्थिति में नाबालिग बच्चों के अभिभावक को घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। इस प्रकार अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा धारित भूमि परिवार की भूमि बन जाती है जिसमें से परिवार एक भूमि का मालिक बन जाता है जिसमें से अलग-अलग इकाइयों के लिए अनुमेय क्षेत्र का चयन किया जा सकता है। एक अलग इकाई के लिए अनुमेय क्षेत्र का चयन भूमि मालिक द्वारा अपने स्वामित्व और कब्जे वाले क्षेत्र से किया जाना है। लेकिन विद्वान महाधिवक्ता दृढ़ता से तर्क देते हैं कि अनुमेय क्षेत्र के रूप में परिवार के लिए चुना गया क्षेत्र परिवार की संपत्ति बन जाएगा और अनुमेय क्षेत्र के आरक्षण से पहले उनके द्वारा धारण की गई भूमि में परिवार के विभिन्न सदस्यों का स्वामित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वह निष्कर्ष केवल तभी संभव है जब परिवार अनुमेय क्षेत्र का चयन करने और अधिशेष क्षेत्र निर्धारित करने से पहले अधिनियम की धारा 7 और धारा 9 (1) के स्पष्टीकरण I के तहत एक साथ समूहीकृत पूरी

भूमि का मालिक बन जाता है। उस मामले में, परिवार को प्रत्येक अलग इकाई के लिए अनुमेय क्षेत्र का चयन करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसा कि अधिनियम की धारा 4 (3) में परिवार के स्वामित्व और धारण की पूरी भूमि में से प्रदान किया गया है, लेकिन यह वह नहीं है जो धारा 4 (3) अधिनियमित करती है। उस उप-धारा के अनुसार प्रत्येक अलग इकाई के लिए अनुमेय क्षेत्र का चयन भूमि मालिक की भूमि से किया जाना है जिसका अर्थ है अधिनियम के तहत घोषणा करने वाला व्यक्ति। इस बिन्दु पर अधिनियम के उपबंध इस प्रकार कम से कम, अस्पष्ट हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि परिवार की जोत में से प्रत्येक पृथक इकाई के लिए अनुज्ञेय क्षेत्र उपलब्ध कराने का उद्देश्य विशेष रूप से विफल कर दिया गया है क्योंकि धारा 9 की उपधारा (3) में पंजाब विधि या पेप्सू विधि के अधीन पहले ही अधिशेष घोषित भूमि और जो भूमि उन अधिनियमों के अधीन किसी किरायेदार के अनुज्ञेय क्षेत्र के अधीन थी, उसे किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के लिए या एक पृथक इकाई के लिए अनुज्ञेय क्षेत्र का चयन करने के प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।

(5) यदि विद्वत महाधिवक्ता का यह तर्क कि अनुज्ञेय क्षेत्र के चयन के पश्चात् यह परिवार का क्षेत्र बन जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि अधिनियम लागू होने की तारीख को उसके द्वारा धारण की गई भूमि के संबंध में परिवार के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त हो जाएगा। कृषि सुधार का मतलब यह नहीं है कि एक जमींदार को उसकी पूरी भूमि से वंचित किया जाना चाहिए और उसके पास उसका कोई हिस्सा नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक भूमि मालिक से केवल अधिशेष क्षेत्र का अधिग्रहण किया जा सकता है और समुदाय के जरूरतमंद वर्गों, यानी भूमिहीन व्यक्तियों, कृषि श्रमिकों और निष्कासित किरायेदारों आदि के बीच वितरित किया जा सकता है। अधिशेष क्षेत्र को वह क्षेत्र कहा जा सकता है जो भूमि स्वामी की आवश्यकताओं से अधिक है, जिसकी सीमा विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जानी है। यदि पूरी भूमि किसी भूस्वामी से छीन ली जाती है, तो यह भूस्वामियों को भूमिहीन बनाने और उनकी भूमि को दूसरों के बीच वितरित करने के बराबर होगा, जो किसी भी कृषि सुधार या संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (बी) और (सी) में निहित राज्य की नीति का उद्देश्य नहीं हो सकता है। कुछ आर्थिक रूप से व्यवहार्य इकाइयों को प्रत्येक भू-स्वामी के पास छोड़ना होगा, विशेष रूप से इसलिए कि भू-स्वामी, मोटे तौर पर, आजीविका के एकमात्र साधन के रूप में कृषि पर निर्भर हैं। यदि किसी परिवार को अनुमेय क्षेत्र रखने के लिए एक इकाई बनाना है, तो उस क्षेत्र के संबंध में परिवार के सदस्यों के अंतर अधिकारों को परिभाषित करना बिल्कुल आवश्यक है। अधिनियम में यह परिभाषित नहीं किया गया है कि परिवार के अनुमेय क्षेत्र में परिवार के प्रत्येक सदस्य का हिस्सा क्या होगा, क्या वह अपने व्यक्तिगत हिस्से के रूप में इसके किसी भी हिस्से का दावा

कर सकता है और उसके विभाजन की मांग कर सकता है या क्या बहुमत प्राप्त करने पर परिवार का कोई सदस्य परिवार की भूमि में अपने हिस्से को अलग भोग के लिए विभाजित करने का हकदार होगा या अविवाहित बेटी, जो नियत दिन पर परिवार की सदस्य थी, शादी के बाद पारिवारिक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं रहेगी जैसा कि संयुक्त हिंदू परिवार के मामले में है या क्या वह संपत्ति में अपने हिस्से का दावा करने और उसे विभाजित करने में सक्षम होगी।

(6) यह आगे स्पष्ट नहीं है कि नियत दिन के बाद परिवार में पैदा हुए बच्चों के क्या अधिकार होंगे, अर्थात् क्या वे अपने जन्म से पहले आरक्षित परिवार के अनुमेय क्षेत्र में किसी भी हिस्से का दावा करने के हकदार होंगे। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, परिवार को किसी भी तरह से अंतर-से अधिकारों या उस क्षेत्र में परिवार के प्रत्येक सदस्य के हिस्से को परिभाषित किए बिना अधिनियम के उद्देश्यों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया है। इसलिए, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि अधिनियम के तहत गठित परिवार परिवार के उद्देश्यों के लिए अनुमत क्षेत्र को कैसे धारण कर सकेगा और उसका आनंद ले सकेगा और उनकी मृत्यु के मामले में परिवार के विभिन्न सदस्यों के उत्तराधिकार का तरीका क्या होगा। यह भी ज्ञात नहीं है कि परिवार का मुखिया या कोई अन्य सदस्य भूमि में अपने हिस्से के संबंध में वसीयत कर सकता है या परिवार के अन्य सदस्यों की सहमति के बिना उसका कोई अंतर-विवोस अलगाव कर सकता है। सुच्चा सिंह बज्तेआ के मामले में पूर्ण पीठ के फैसले में बताए गए कारणों के अलावा (ऊपर) , परिवार के अनुमेय क्षेत्र से संबंधित अधिनियम के प्रावधान अस्पष्टता और अनिश्चितता के दुष्प्रभाव से ग्रस्त हैं और अपूर्ण और अव्यवहार्य होने के कारण निरस्त किए जाने के योग्य हैं।

(7) अधिनियम की धारा 16 अधिशेष के रूप में अधिग्रहित भूमि के बदले में राशि के भुगतान का प्रावधान करती है, लेकिन इस अधिनियम में उस व्यक्ति के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो सरकार से मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होगा। संभवतः घोषणा करने वाले व्यक्ति को अधिशेष क्षेत्र के लिए राशि का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। धारा 12 और भूमि स्वामी की परिभाषा के संदर्भ से यह निष्कर्ष निकालना संभव है कि राशि भूमि के स्वामी को देय है और जरूरी नहीं कि घोषणा करने वाले व्यक्ति को देय हो, लेकिन यह संदेह से परे स्पष्ट नहीं किया गया है। धारा 16 के समुचित संशोधन

द्वारा स्पष्टता लाई जा सकती है, क्योंकि यदि यह घोषणा करने वाले व्यक्ति को देय है, तो वह उस राशि को अपने परिवार के सदस्य को दे सकता है या नहीं दे सकता है, जो वास्तव में नियत दिन पर भूमि का मालिक था, जिसे अधिशेष घोषित किया गया है, इस प्रकार, उसे न केवल उसके स्वामित्व वाली और उसके द्वारा धारित भूमि से, बल्कि उसके बदले मुआवजे की राशि से भी वंचित कर सकता है। यह ऐसे सदस्य को उसकी भूमि और उसके बदले मुआवजे से वंचित करने के बराबर होगा, राज्य सरकार के किसी अधिनियम द्वारा नहीं, बल्कि परिवार के प्रमुख या वरिष्ठ सदस्य के एक अधिनियम द्वारा जो अधिनियम के तहत घोषणा करता है। इस धारा में उस व्यक्ति को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि के लिए आसानी से प्रावधान किया जा सकता है, जिसकी भूमि अधिशेष घोषित की गई है, यदि यह उस परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में है, जिसकी ओर से पति, पत्नी या नाबालिग बच्चों का अभिभावक घोषणा करता है। ऐसा प्रावधान पत्नी और नाबालिग बच्चों के हितों की रक्षा के लिए किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अधिशेष घोषित नाबालिगों की भूमि के बदले में राशि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम या संरक्षक और वार्ड अधिनियम की धारा 8 के तहत कार्य करने के लिए सक्षम न्यायालय में जमा की जा सकती है, जिसका उपयोग उस न्यायालय के निर्देशों के तहत अभिभावक द्वारा किया जाएगा या निपटाया जाएगा। जब अधिनियम द्वारा अब तक कानून के लिए अज्ञात एक कृत्रिम परिवार का निर्माण किया जा रहा था, तो यह विधानमंडल का दायित्व था कि वह अपने सदस्यों के अधिकारों को परिभाषित करे, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ताकि इसे इस विषय पर एक पूर्ण संहिता बनाया जा सके। यदि परिवार के लिए निर्धारित सीमा के भीतर प्रत्येक भूमि मालिक को पहले से स्वामित्व वाली जोत के बदले में पारिवारिक भूमि के एक हिस्से का मालिक होने की अनुमति दी जाती है, तो उस भूमि के उत्तराधिकार या आनंद के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हो सकती है। ऊपर वर्णित अधिनियम के प्रावधान, जैसा कि वे वर्तमान में हैं, इस आधार पर निरस्त किए जाने के योग्य हैं कि कानून के एक महत्वपूर्ण विषय पर अपूर्ण प्रावधान किया गया है जिससे अस्पष्टता और अस्पष्टता पैदा होती है जिससे भूमि मालिकों के लिए अपनी भूमि और चयनित क्षेत्र को अनुमेय क्षेत्र घोषित करते समय कई कठिनाइयाँ पैदा होंगी। इस तरह का कानून व्यापक होने के साथ-साथ आसानी से समझने योग्य भी होना चाहिए। यह विधानमंडल का कर्तव्य है कि वह जनता के लिए बिना किसी कठिनाई के पालन करने के लिए स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य प्रावधान करे। यह ध्यान में रखा जा सकता है कि जिन

लोगों की भूमि अधिशेष घोषित की जानी है, उनमें से अधिकांश निरक्षर हैं, कानून की पेचीदगियों से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हैं। इस उद्देश्य के लिए उन्हें वकील की सेवाएं प्राप्त करने के लिए मजबूर करना उन पर अनुचित बोझ डालना होगा। इस प्रकार बिंदु 1 और 3 के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों में कोई योग्यता नहीं है।

(8) विद्वान महाधिवक्ता द्वारा आग्रह किए गए बिंदु संख्या 2 में समान रूप से कोई योग्यता नहीं है। यदि अधिनियम का कोई उपबंध संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को सुरक्षित करने की दिशा में कृषि सुधार या राज्य की नीति को बढ़ावा नहीं देता है, तो इसे संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 31 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन सहित किसी भी आधार पर निरस्त किया जा सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है, कृषि सुधार का अर्थ यह नहीं है कि एक भूमि मालिक को अपनी भूमि का कोई भी हिस्सा छोड़े बिना पूरी तरह से वंचित कर दिया जाना चाहिए ताकि उसे अन्य भूमिहीन व्यक्तियों या कृषि मजदूरों या किरायेदारों आदि के बीच वितरित किया जा सके। यह सर्वविदित है कि अधिकांश भूमि-स्वामी अपनी आजीविका के लिए अपने स्वामित्व वाली भूमि पर निर्भर हैं। यदि अधिनियम के तहत गठित परिवार के एक से अधिक सदस्य के पास नियत दिन पर अपने स्वयं के अधिकार में भूमि है, तो परिवार के मुखिया की इच्छा और विकल्प पर उसे उस भूमि से पूरी तरह से वंचित करना कृषि सुधार का निषेध होगा, चाहे वह पति, पत्नी या नाबालिग बच्चों का अभिभावक हो, विशेष रूप से जब परिवार की भूमि में उनके अधिकारों को अधिनियम में निर्धारित या परिभाषित नहीं किया गया है जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। यदि परिवार को अनुमेय क्षेत्र निर्धारित करने के उद्देश्य से एक इकाई बनाना है, तो परिवार के सभी सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि में से अनुमेय क्षेत्र का चयन करने का विकल्प परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। विधानमंडल को यह प्रावधान करना चाहिए कि प्रत्येक सदस्य की जोत से आनुपातिक क्षेत्र का चयन किया जाएगा, जो कुल मिलाकर परिवार के अनुमेय क्षेत्र के बराबर होगा और बन जाएगा, लेकिन वह आनुपातिक क्षेत्र उस व्यक्ति का स्वामित्व बना रहेगा जिसके पास नियत दिन पर इसका स्वामित्व होगा। इस तरह राज्य को अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत उपलब्ध सीमा तक अधिशेष क्षेत्र प्राप्त होगा और नियत दिन पर मालिकों को उनके स्वामित्व वाली भूमि का एक हिस्सा भी उनके पास छोड़ दिया जाएगा। ऐसे मामले में परिवार का कोई

भी सदस्य बहुमत प्राप्त करने या स्वतंत्र होने पर अपने क्षेत्र को अनुमेय क्षेत्र की सीमा तक बढ़ाने में सक्षम होगा ताकि उसके अपने परिवार को आजीविका कमाने के लिए एक व्यवहार्य आर्थिक इकाई प्रदान की जा सके। अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों का परिणाम यह है कि काफी संख्या में भूस्वामियों को भूमिहीन बना दिया जाता है और उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए मजदूर या कृषि श्रमिक बनने या कहीं और रोजगार पाने के लिए मजबूर किया जाता है। इस तरह का विधान कृषि सुधार का निषेध है और संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (बी) और (सी) के तहत राज्य सरकार की नीति का पालन नहीं करता है। हमारी राय में, इसलिए अधिनियम में यह प्रावधान करना आवश्यक है कि यदि अधिनियम के तहत गठित परिवार के विभिन्न सदस्यों के पास भूमि है, तो अनुमेय क्षेत्र का चयन प्रत्येक सदस्य द्वारा धारण किए गए क्षेत्र में से आनुपातिक रूप से किया जाएगा और उसके हिस्से से घोषित अधिशेष क्षेत्र के लिए मुआवजा उसे दिया जाएगा। हालाँकि, परिवार के सदस्य इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र को उनकी व्यक्तिगत जोतों में से अनुमेय क्षेत्र के रूप में आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार चुना गया अनुमेय क्षेत्र उस अनुपात में उनके स्वामित्व में रहेगा जिसमें उन्होंने नियत दिन पर अपने नाम पर भूमि धारण की थी। एक व्यक्ति को परिवार के अन्य सदस्यों की भूमि का मानित स्वामी बनाने की अनुमति नहीं है, उन्हें उनके स्वामित्व से पूरी तरह से वंचित करके और उसे एक घोषणा करने के लिए कहने के लिए और उसे अपनी इच्छानुसार परिवार के लिए अनुमेय क्षेत्र का चयन करने की अनुमति देने के लिए, यहां तक कि परिवार के अन्य सदस्यों के नुकसान के लिए भी। इस प्रकार, परिवार के संबंध में अधिनियम के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 31-ए और 31-सी के तहत सुरक्षित नहीं हैं।

(9) बिंदु संख्या 4, जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, संख्या तर्क को स्वीकार करता है। अधिनियम के कुछ प्रावधानों को इसलिए निरस्त नहीं किया जा रहा है क्योंकि वे कठोर और असमान हैं, बल्कि इस आधार पर कि वे कृषि सुधार के बराबर या बढ़ावा नहीं देते हैं और न ही वे संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (बी) और (सी) में उल्लिखित राज्य नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हैं। यह अधिनियम एक रंगीन विधान नहीं है, लेकिन अंतर्निहित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिनियमित इसके कुछ प्रावधान काफी अस्पष्ट, अस्पष्ट, अधूरे और अव्यवहारिक हैं, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है और इसलिए इन्हें निरस्त किया जा

सकता है।

(10) बिंदु संख्या 5 के संबंध में, यह कहना पर्याप्त है कि अधिनियम के कुछ प्रावधान संयोग से विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उल्लिखित अन्य अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन ऐसे प्रावधानों को इस तथ्य के मद्देनजर असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की सहमति संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत अधिनियम को दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप इस अधिनियम के प्रावधान अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के खिलाफ प्रबल हैं।

(11) विद्वान महाधिवक्ता ने बिंदु संख्या 6 तैयार करते समय सही ढंग से यह नहीं कहा है कि अधिनियम की परिकल्पनाओं में कोई अस्पष्टता नहीं है। मैंने पहले ही कुछ प्रावधानों का उल्लेख किया है जो या तो अस्पष्ट, अपूर्ण या अस्पष्ट हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 4 (3) में यह उपबंध है कि भूमि स्वामी के अनुज्ञेय क्षेत्र को प्रत्येक पृथक इकाई के लिए परिवार की प्राथमिक इकाई के अनुज्ञेय क्षेत्र तक बढ़ाया जाएगा, बशर्ते कि जहां पृथक इकाई भी किसी भूमि का स्वामी हो, वहां उसे उसके अनुज्ञेय क्षेत्र की गणना करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा। धारा 9 (2) में यह उपबंध है कि उपधारा (1) के अधीन अपने अनुज्ञेय क्षेत्र का चयन करते समय भूमि-स्वामी अलग इकाई के लिए भूमि का भी चयन कर सकता है। धारा 4 (3) के प्रावधानों से यह धारणा बनती है कि भूमि स्वामी का अनुमेय क्षेत्र अलग इकाई के लिए चुने गए क्षेत्र द्वारा बढ़ाया जाएगा, जबकि धारा 9 (2) यह धारणा देती है कि अलग इकाई के लिए चुना गया क्षेत्र उस इकाई के लिए होगा न कि भूमि मालिक के लिए। इस प्रकार दोनों प्रावधानों के बीच कुछ विसंगति है जिसे इन दोनों प्रावधानों में से एक या दूसरे के उचित संशोधन द्वारा हल किया जाना है।

(12) अधिनियम की धारा 9 (1) का स्पष्टीकरण 2 भी सुखपूर्वक नहीं लिखा गया है। इसके अनुसार, किसी व्यक्ति के स्वामित्व या स्वामित्व वाली भूमि की सीमा की गणना करते समय, सहकारी समिति या कंपनी में ऐसे व्यक्ति के हिस्से को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कंपनी को अधिनियम या सामान्य खंड अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम, 1956 में इसका अर्थ उस अधिनियम के तहत गठित और पंजीकृत कंपनी या उस अधिनियम की धारा 3 के खंड (ii) में परिभाषित मौजूदा कंपनी से है। कंपनियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। ऐसी कोई भी कंपनी अपने निगमन पर एक अलग कानूनी इकाई बन जाती है। यह संपत्ति का स्वामित्व और उसके साथ व्यवहार कर सकता है, अपने नाम

पर मुकदमा कर सकता है और मुकदमा किया जा सकता है, इसकी ओर से अनुबंध कर सकता है और सदस्य या शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से लाभों के हकदार नहीं हैं या उनसे उत्पन्न होने वाले बोझ के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। एक बार कंपनी के निगमित होने के बाद, इसे किसी भी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति की तरह माना जाना चाहिए क्योंकि यह संघ के ज्ञापन या उसके शेयरधारकों के ग्राहकों से पूरी तरह से अलग व्यक्ति है। जबकि कंपनी एक चालू कंपनी है, कोई भी शेयरधारक यह दावा नहीं कर सकता है कि उसकी संपत्ति का कोई भी हिस्सा उसका है। कंपनी की संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी का निर्धारण करना किसी भी समय संभव नहीं है। शेयरधारकों के अधिकार सामान्य बैठकों में भाग लेने, निदेशकों के चुनाव का कार्य करने, लेखा और तुलनपत्र पारित करने, लाभांश की घोषणा, लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और असाधारण और विशेष प्रस्ताव पारित करने के हैं। वे केवल लाभांश के भुगतान के हकदार हैं यदि यह घोषित किया जाता है, लेकिन यदि यह घोषित नहीं किया जाता है, तो उन्हें कंपनी की संपत्ति के किसी भी हिस्से का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह तभी होता है जब कंपनी स्वैच्छिक रूप से बंद हो जाती है या न्यायालय द्वारा उसे बंद करने का आदेश दिया जाता है कि अंशधारक, अंशदाता के रूप में, कंपनी की शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या के अनुसार अपने शेयर में आने वाली राशि की वापसी के हकदार हो जाते हैं, यदि कंपनी की देनदारियों के भुगतान के बाद कोई राशि बची हो। उस स्तर पर यह संभव है कि न्यायालय की मंजूरी से परिसमापक कंपनी की परिसंपत्तियों को अंशदाताओं के बीच विशिष्ट रूप से वितरित कर सकता है, लेकिन उस स्तर तक पहुंचने तक, यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी शेयरधारक के शेयर उसे कंपनी की किसी भी संपत्ति का हकदार बनाते हैं। प्रत्येक शेयरधारक को अपने शेयरों को किसी और को हस्तांतरित करने की स्वतंत्रता है और इसके द्वारा हस्तांतरणकर्ता को हस्तांतरणकर्ता के स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व या धारित भूमि की सीमा की गणना करने के प्रयोजनों के लिए, उस कंपनी के स्वामित्व या धारित भूमि में किसी व्यक्ति के हिस्से का निर्धारण करना संभव नहीं है, जिसमें वह एक शेयरधारक है।

(13) सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति की स्थिति भी एक कंपनी की स्थिति के समान है और कंपनी के संबंध में ऊपर जो कुछ भी कहा गया है वह एक सहकारी समिति पर उत्परिवर्तन लागू होता है। इसकी परिभाषा में 'व्यक्ति' शब्द में एक कंपनी और एक सहकारी समिति शामिल है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक कंपनी और सहकारी समिति अधिनियम की धारा 4 में निर्धारित भूमि के बदले में एक अनुमेय

क्षेत्र का हकदार होगा। उस भूमि में से, कंपनी या सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य का हिस्सा निर्धारित नहीं किया जा सकता है जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसलिए, हमारे विचार में, "कंपनी" और "सहकारी समिति" शब्दों को अधिनियम की धारा 9 (1) के स्पष्टीकरण II से हटा दिया जाना चाहिए।

(14) विद्वान महाधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि पूर्ण पीठ का निर्णय सही नहीं है जब यह कहता है कि अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 31-ए (1) के दूसरे परंतुक का उल्लंघन करता है। वह प्रस्तुत करता है कि अधिनियम इस तरह का कुछ भी नहीं करता है क्योंकि यह धारा 4 द्वारा निर्धारित अनुमेय क्षेत्र से किसी भी भूमि को नहीं छीनता है और जो छीन लिया जा रहा है वह भूमि है जिसे अधिशेष घोषित किया जाएगा। इस अधिनियम के लागू होने पर पूर्ववर्ती अधिनियमों द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और संविधान के अनुच्छेद 31-क के दूसरे परन्तुक के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रवृत्त विधि वर्तमान अधिनियम है न कि निरसित अधिनियम। इस मामले को सुच्चा सिंह बाजवा के मामले (1) (उपर्युक्त) में पूर्ण पीठ के फैसले के पैरा 20 में निपटाया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वत महाधिवक्ता ने उस पैराग्राफ को गलत तरीके से पढ़ा है जिसका अर्थ है कि उसमें उल्लिखित अनुमेय क्षेत्र निरसित अधिनियमों के तहत घोषित किया गया था। पूर्ण पीठ के लिए उस निर्णय को तैयार करते समय, मैंने विशेष रूप से कहा था कि-"यदि परिवार के प्रत्येक सदस्य, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है, अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले अधिनियम द्वारा निर्धारित अनुमेय क्षेत्र के भीतर भूमि स्वामी या गिरवीदार के रूप में कब्जा या किरायेदार के रूप में भूमि रखता है, तो वह अधिनियम शुरू होने के दिन भी इसका धारक बना रहा और यदि उसे इस तरह से उसके द्वारा धारित भूमि से वंचित किया जाना है, जो उसके अनुमेय क्षेत्र के भीतर है और उसकी व्यक्तिगत खेती के तहत है, तो उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए जो संविधान के अनुच्छेद 31-ए (1) के दूसरे प्रावधान के अनुसार बाजार मूल्य से कम नहीं होगा।

इस वाक्य में जहां कहीं भी अधिनियम का उपयोग किया गया है, उसका अर्थ है पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, जो विचाराधीन था, जैसा कि निर्णय के पैरा 1 से स्पष्ट है। पैराग्राफ 20 में आगे कहा गया था कि-"जिस दिन अधिनियम लागू हुआ, यानी 2 अप्रैल, 1973 को, यह ज्ञात नहीं था कि परिवार के प्रत्येक सदस्य का क्षेत्र, जो उसके द्वारा अलग से रखा गया था, अधिनियम के तहत किस हद तक कम किया जाएगा। यह पति या पत्नी या परिवार के सबसे बड़े जीवित सदस्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि वह नियमों के नियम 5 (4) के साथ

पठित अधिनियम की धारा 4 (4) के तहत चयन करके कटौती को प्रभावी बनाए। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम ने अपने बल से और अपने प्रवर्तन के दिन ही, अधिनियम में परिभाषित परिवार के प्रत्येक सदस्य के संबंध में अनुमेय क्षेत्र की सीमा निर्धारित की।

चूंकि पूर्ण पीठ के फैसले के पैरा 20 में की गई टिप्पणियों पर की जाने वाली व्याख्या के बारे में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा कुछ संदेह व्यक्त किया गया है, इसलिए मैं यह स्पष्ट कर सकता हूं कि इसका मतलब यह था कि यदि पंजाब भूमि सुधार अधिनियम के तहत निर्धारित किसी व्यक्ति (और परिवार के लिए नहीं) के लिए अनुमेय क्षेत्र से अधिक की कोई भूमि परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा धारण की गई पूरी भूमि को एकत्र करके परिवार के अधिशेष क्षेत्र को घोषित करते समय ली जानी थी, तो उस परिवार के प्रत्येक सदस्य को संविधान के अनुच्छेद 31-ए (1) के दूसरे परंतुक के अनुसार बाजार मूल्य पर मुआवजा दिया जाना था। इसलिए, विद्वान महाधिवक्ता के समर्पण को खारिज कर दिया जाता है।

(15) अंत में, याचिकाकर्ताओं ने नियमों के नियम 5 की वैधता को चुनौती दी है जो 'ए श्रेणी की भूमि', 'एए श्रेणी की भूमि', 'बी श्रेणी की भूमि' और 'सी श्रेणी की भूमि' में वर्गीकृत की गई भूमि की विभिन्न श्रेणियों के मूल्यांकन का तरीका निर्धारित करता है। इन श्रेणियों को नियम 2 के खंड (ii) (iii) (iv) और (v) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः -

"2 (ii)" "एक श्रेणी की भूमि" "से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने में सक्षम है और धारा 4 (1) (क) (iii)" "एए श्रेणी की भूमि" "से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने में सक्षम है और जिसे धारा 4 (1) (क) के साथ धारा 4 (5) में उल्लिखित निजी ट्यूबवेल/पम्पिंग सेटों द्वारा सिंचित किया गया है।"

(iv) 'बी श्रेणी की भूमि' से धारा 4 (1) (बी) में उल्लिखित वर्ष में कम से कम एक फसल उगाने में सक्षम सुनिश्चित सिंचाई के तहत भूमि अभिप्रेत है।

(v) 'सी श्रेणी की भूमि' से धारा 4 (एल) (सी) में उल्लिखित बागों के तहत भूमि सहित अन्य सभी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है।

नियम 5 की वैधता को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है जिन पर आगे विचार किया जाएगा

(16) अधिनियम की धारा 4 (4) में यह उपबंध किया गया है कि अनुज्ञेय क्षेत्र

का निर्धारण सिंचाई की तीव्रता, सिंचाई के साधनों के स्वामित्व और बंजर, सेम, थूर या कल्लर जैसी मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए निर्धारित तरीके से गणना किए जाने वाले मूल्यांकन के आधार पर किया जाना है, बशर्ते कि कुल भौतिक जोत 21.8 हेक्टेयर से अधिक न हो। 'ए 1 श्रेणी की भूमि', 'ए ए श्रेणी की भूमि' और 'बी श्रेणी की भूमि' को परिभाषित करते समय मिट्टी के प्रकार पर कोई विचार नहीं किया गया है। ये श्रेणियां विभिन्न स्रोतों से सुनिश्चित सिंचाई और भूमि में उगने में सक्षम फसलों की संख्या पर निर्भर करती हैं, लेकिन उस तरह की मिट्टी पर नहीं जो विधायिका के जनादेश के अनुसार ध्यान में रखा जाना आवश्यक था। ऐसा हो सकता है कि एक वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने में सक्षम और कम से कम दो फसलें उगाने में सक्षम निम्न स्तर की भूमि की तुलना में एक वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने में सक्षम निम्न स्तर की भूमि से उपज बहुत कम हो। सुनिश्चित सिंचाई के तहत सभी प्रकार की भूमि की बराबरी करना और एक वर्ष में कम से कम दो फसलें या एक फसल उगाने में सक्षम होना, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 4 (4) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अधिनियम की धारा 16 (1) के उपबंधों से यह स्पष्ट है कि अधिशेष क्षेत्र के बदले राशि का भुगतान करने के लिए भूमि को सोलह श्रेणियों में विभाजित किया गया है और ऐसी प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि विभाग को मुआवजे का भुगतान करते समय भूमि के प्रकार का निर्धारण करना होगा और ऐसा कोई कारण नहीं है कि अनुमेय क्षेत्र के निर्धारण के लिए उस विधि को क्यों नहीं अपनाया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब विधानमंडल ने इस कारक को ध्यान में रखने के लिए विशेष रूप से प्रावधान किया है। हरियाणा के प्रत्येक जिले के लिए धारा 16 (1) के प्रयोजनों के लिए भूमि का मूल्यांकन विवरण अधिनियम की अनुसूची में प्रदान किया गया है और उसी आधार पर अनुमेय क्षेत्र निर्धारित करने के लिए भूमि का मूल्यांकन किया जा सकता है। अतः यह इस प्रकार है कि नियम 5 अधिनियम की धारा 4 (4) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

(17) अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) में प्रावधान है कि एक वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाने में सक्षम सुनिश्चित सिंचाई के तहत भूमि के संबंध में अनुमेय क्षेत्र 7.25 हेक्टेयर होगा। भूमि की इस श्रेणी को नियमों में 'ए श्रेणी की भूमि' के रूप में परिभाषित किया गया है यदि सिंचाई का स्रोत एक नहर या राज्य ट्यूबवेल है और 'एए श्रेणी की भूमि' यदि सिंचाई का स्रोत निजी ट्यूबवेल या पंपिंग सेट से है। अधिनियम की धारा 4 (5) के प्रावधानों

के अनुसार 'ए श्रेणी की भूमि' की एक इकाई को 'एए श्रेणी की भूमि' की 1.25 इकाइयों के बराबर बनाया गया है। हालांकि नियम 5 (2) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि भूमि को नहर या सरकारी ट्यूबवेल या नहर और निजी ट्यूबवेल दोनों द्वारा सिंचित किया जाता है, तो निर्धारित दिन से तुरंत पहले 3 साल की अवधि के दौरान अबियाना चार्ज करने के लिए नहर विभाग द्वारा आयोजित गिरदावरी के रिकॉर्ड के अनुसार 5 या 6 फसलों के दौरान सिंचाई प्राप्त करने वाले क्षेत्र की सीमा को 'ए श्रेणी की भूमि' माना जाएगा। अधिनियम की धारा 4 (4) में प्रावधान है कि सिंचाई की तीव्रता को ध्यान में रखा जाएगा। 'सिंचाई की तीव्रता' शब्द को सिंचाई अभ्यास नियमावली, खंड II में निम्नानुसार समझाया गया हैः -

"तीव्रता-वार्षिक-यह शब्द वर्ष के दौरान सिंचित संवर्धित सिंचाई योग्य क्षेत्र के प्रतिशत पर लागू होता है। परियोजना की तीव्रता परियोजना में लक्षित वार्षिक तीव्रता है।

'सिंचाई की तीव्रता' की इस परिभाषा के अनुसार भूमि को 'ए श्रेणी की भूमि' या 'एए श्रेणी की भूमि' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसने अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) के अनुसार नियत दिन से ठीक पहले तीन वर्षों की अवधि के दौरान सभी छह फसलों के लिए सिंचाई प्राप्त की हो। इसलिए नियम 5 (2) (ए) में पांच फसलों को शामिल करना अधिनियम की धारा 4 (एल) (ए) और (4) के अनुसार नहीं है। इसी प्रकार, नियम 5 (2) (ख) जो यह उपबंध करता है कि यदि भूमि नहर या सरकारी ट्यूबवेल या नहर और निजी ट्यूबवेल दोनों द्वारा सिंचित की जाती है, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान 2,3 या 4 फसलों के लिए सिंचाई प्राप्त करने वाले क्षेत्र की सीमा को 'बी श्रेणी की भूमि' के रूप में माना जाएगा, जो एक वर्ष में कम से कम एक फसल के लिए सुनिश्चित सिंचाई के अनुसार अधिनियम की धारा 4 (एल) (बी) के अनुरूप नहीं है।

यदि तीन वर्षों में दो फसलों के लिए सुनिश्चित सिंचाई की गई है, तो यह उस श्रेणी में नहीं आएगी जिसके लिए अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) में प्रावधान किया गया है। इसलिए नियम 5 (2) के खंड (ए) और (बी) अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) और (बी) के प्रावधानों से परे हैं।

(18) नियम 5 (2) (ए) में "अबियाना चार्ज करने के लिए नहर विभाग द्वारा संचालित गिरदावरी के रिकॉर्ड" का उल्लेख किया गया है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहर विभाग द्वारा नहीं रखा गया है। जो अभिलेख रखा गया है, वह हरियाणा और पंजाब के वित्तीय आयुक्तों के स्थायी आदेश संख्या 61 में दिया गया है, जिसमें गिरदावरी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। रिकॉर्ड को फॉर्म नंबर 1 में रखा जाता है जिसे शुडकर खसरा कहा

जाता है। (वर्नाक्यूलर फॉर्म नंबर 2-A). अतः भूस्वामियों के लिए नहर विभाग द्वारा रखे गए गिरदावरी अभिलेख की प्रतियां प्राप्त करना संभव नहीं है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनकी भूमि को अधिनियम की धारा 4 (1) में उपबंधित फसलों की संख्या के अनुसार सिंचाई प्राप्त हुई है। उक्त प्रपत्र की एक नमूना प्रति हमें दिखाई गई थी जिससे यह आसानी से निर्धारित करना संभव नहीं है कि राजस्व अभिलेखों में उल्लिखित भूमि मालिक की किस क्षेत्र संख्या ने किसी भी फसल के लिए सिंचाई प्राप्त की। नियम बनाने वाले प्राधिकारी को वह अभिलेख निर्धारित करना चाहिए जो वर्तमान है और जो विभाग के साथ-साथ भूमि मालिकों को भी ज्ञात है और जिसकी प्रमाणित प्रतियां आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। इसलिए यह नियम इस आधार पर भी निरस्त किया जा सकता है कि नियम 5 (2) (ए) (बी) और (सी) में उल्लिखित फसलों के दौरान सिंचाई प्राप्त करने वाले भूमि मालिक के क्षेत्र का निर्धारण करने का रिकॉर्ड नहर विभाग द्वारा उस रूप में नहीं रखा जाता है और इस नियम में उस रिकॉर्ड का विवरण सही नहीं है। नियमों के नियम 5 (3) और (4) में भूमि के लिए प्रावधान करते समय, मिट्टी के प्रकार पर कोई विचार नहीं किया गया है और ये उप-नियम भी ऊपर चर्चा किए गए हमले के पहले आधार पर निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। तदनुसार, नियमों के नियम 5 को अधिनियम की धारा 4 के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया गया है और इसे निरस्त कर दिया गया है।

(19) चूंकि किसी परिवार के अनुमेय क्षेत्र के संबंध में उपबंधों को अधिकार से बाहर घोषित किया गया है, इसलिए अधिनियम के उपबंधों में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगेः -

(i) 'परिवार' शब्द को किसकी परिभाषा से हटा दिया जाएगा? धारा 3 (एम) में 'व्यक्ति';

(ii) शब्द 'या परिवार जिसमें पति, पत्नी और उत्तर प्रदेश शामिल हैं' तीन नाबालिग बच्चों के लिए (यहां एजी को संदर्भित किया गया है) "परिवार की प्राथमिक इकाई")" शब्द के बाद "व्यक्ति" क्या होगा? धारा 4 (1) से हटा दिया गया;

(iii) धारा 4 की उपधारा (2) हटा दी जाएगी;

(iv) 'परिवार की प्राथमिक इकाई' शब्दों के लिए 'व्यक्ति' शब्द धारा 4 की उप-धारा (3) में प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) धारा 7 का स्पष्टीकरण हटा दिया जाएगा;

(vi) धारा 9(1) का स्पष्टीकरण। हटा दिया जाएगा; और

(vii) 'सहकारी समिति' और 'या कंपनी' शब्द स्पष्टीकरण ॥ से धारा 9(1) तक हटा दिया गया है।

(viii) नियमों के नियम 5 को अधिनियम की धारा 4 के अधिकार से बाहर घोषित किया गया है और इसे निरस्त कर दिया गया है।

चूंकि नियमों का नियम 5 भूमि मालिकों द्वारा घोषणाओं को प्रस्तुत करने और अनुमेय क्षेत्र के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अधिनियम के तहत पहले से ही की गई कार्यवाही, यदि कोई हो, को रद्द कर दिया जाता है। इन याचिकाओं को उपरोक्त शर्तों में स्वीकार किया जाता है लेकिन लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना।

ढिल्लों, जे -मैं सहमत हूँ।

बी एस जी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अवीषेक गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा